



सेवा में,

प्रबन्धक,
केदार राव महिला महाविद्यालय, मुण्डेरा, तरकुलवा, देवरिया। (कोड-921)

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0ए0- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों की स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्बद्धता/विस्तारण/2024-25/3649 दिनांक 25.07.2024 द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0ए0- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में कतिपय शर्तों के अधीन महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2024 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र के अनुसार संदर्भित पाठ्यक्रम का वार्षिक सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है तथा महाविद्यालय नकल में आरोपित नहीं है। यदि इसमें कोई त्रुटि/असत्यता पाई जाती है तो स्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

2- निरीक्षण मण्डल द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0ए0- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है। निरीक्षण मण्डल की आज्ञा के साथ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता/त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

3- माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.06.2025 में प्रदान की गयी स्वीकृति एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (पद्या संशोधित 30प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0ए0- हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2025 से स्थाई सम्बद्धता, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं सचिवा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 08 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कानूनों की पूर्ति से सम्बन्धित अनिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. संस्था परित्तर को रीगिन मुक्त रहेगी।
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिणियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. महाविद्यालय की स्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दो जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन सचिव में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
13. महाविद्यालय द्वारा ए.आई.एस.ए.ई. 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का फार्म पूरित कर दिवा जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या: सम्बद्धता/2025-26/ तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधीक्षक, कक्षा सहाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, बी0ए0उ0 गो0सि0गि0, गोरखपुर।
4. प्राचार्य, स्वयंसेवक महाविद्यालय।
5. प्रभारी सचिव कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के सूचनाएं।
6. प्रभारी कमेटी/वैद्य महायक कुलसचिव।

कुलसचिव